रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CL 27/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 564] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 1985/पौष 6, 1907
No. 564] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 27, 1985/PAUSA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1985

अधिसूचना

सं. 256/85-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 941(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (11वां संशोधन) नियम, 1985 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 204 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"204.—समन जारी करना.—अधिनियम के अधीन जारी किया गया हर एक समन लिखित में और दो प्रतियों में होगा तथा उसमें वह प्रयोजन अधिकथित किया जाएगा जिसके लिए वह जारी किया गया है, तथा उस पर उसे जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और शासकीय मुद्रा, यदि कोई है, भी होंगे ।"

[सं. 256/85–सी ई (फ. सं. 4/19/85–सी. एक्स-I]
सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th December, 1985

NOTIFICATION

No. 256/85–CENTRAL EXCISES

G.S.R. 941(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (11th Amendment) [Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, for rule 204, the following rule shall be substituted, namely:—

"204. Issue of summons.– Every summons issued under the Act shall be in writing in duplicate, and shall state the purpose for which it is issued, and shall be signed by the officer issuing it and shall also bear his official seal, if he has any."

[No. 256/85-CE (F.No. 4/1/85-CX. I)]
C. Mathur, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985